संख्या-42/2021/396/71-3-2021-61/2018टीसी-5

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
फिरोजाबाद।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 25 मार्च, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद हेतु उपकरणों की संशोधित सूची अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एफजैडडी/2020/3204, दिनांक 15.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद हेतु संशोधित उपकरणों की सूची अनुमोदित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद हेतु उपलब्ध करायी गयी उपकरणों की संशोधित सूची (संलग्नानुसार) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद हेतु उपलब्ध करायी गयी उपकरणों की सूची के क्रमांक-6, 9 एंव 10 में उल्लिखित उपकरण की लागत रू0 25.00 लाख या इससे अधिक है। अतः सोसायटी बायलॉज के प्रस्तर-24 में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में उक्त उपकरणों का क्रय उच्च स्तरीय क्रय समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा। शेष उपकरणों का क्रय पारदर्शी टेण्डर व्यवस्था, जी0एफ0आर0 के प्राविधानों के अंतर्गत प्रधानाचार्य के माध्यम से किया जायेगा। उपकरणों के क्रय में पारदर्शिता एंव Competitive दर maintain करने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य एवं सम्बन्धित वित्त नियंत्रक की होगी।
2. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत उपकरणों के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।
3. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
4. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
5. स्वीकृत धनराशि से उन्हीं उपकरणों का क्रय किया जायेगा जिसके स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति कर ली जाए।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
8. उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/ सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
9. उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10. उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-4090/71-1-2017-जी-243/2017, दिनांक 29.12.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खातें आदि में नहीं रखा जायेगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
14. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रकिया के अनुसार विहित प्रकिया का पालन करते हुए उपयोगी उपकरण क्रय किया जायेगा। क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व ऑडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।
15. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-42/2021/396 (1)/71-3-2021, तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-42 /2021/396/71-3-2021-61/2018टीसी-5, दिनांक 25 मार्च, 2021 का संलग्नक:-

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद-

क्र. स.	शासनादेश दिनांक 26.12.2020 में क्र.स.	विभाग का नाम	उपकरण का नाम	पूर्व में प्रेषित अनुमानित धनराशि प्रति नग	संशोधित अनुमानित धनराशि प्रति नग (रू0 में)	पूर्व में प्रेषित आवश्यक न्यूनतम मात्रा	संशोधित आवश्यक न्यूनतम मात्रा	संशोधित कुल अनुमानित धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	4	Microbiology	Centrifuge	20000	50000	3	3	150000
2	13	Microbiology	Microscope Binocular with Camera and all attachments (Every Faculty)	28600	75000	2	2	150000
3	62	Pathology	Automated Tissue Processor – Histokinette	200000	1800000	2	1	1800000
4	64	Pathology	Fully Automated high throughput Multi-Stainer Workstation	200000	2400000	1	1	2400000
5	65	Pathology	Fully Automated Embedding System (Heated embedding module & cold plate)	150000	1400000	1	1	1400000
6	72	Pathology	Penta Head Microscope with High end Optics with HDMI Multi output Photographic camera (> 5 MP) including Software	300000	2500000	1	1	2500000
7	77	Pathology	pH Meter electric	15000	75000	5	5	375000
8	79	Pathology	Surgical instruments.	10000	50000	5	5	250000
9	132	Anesthesia	Anesthesia machine	1300000	4000000	3	1	4000000
10	155	Otorhino - laryngology	operating microscope	2000000	2500000	1	1	2500000

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।